[19/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 927]

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल

क्रमांक/वि. नि./2008–09/चार/ 6514 भोपाल दिनांक 2-5-08

//आदेश//

वित्तीय वर्ष 2008–09 में नगरीय निकाय को **विशेष निधि** से अर्न्तगत निम्नानुसार स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

(रूपये लाख में)

क्र	निकाय का नाम	स्वीकृत राशि	प्रयोजन
1.	सिहोरा	10.00	समुदायिक भवन निर्माण

(रू दस लाख मात्र)

1. स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के भीतर राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र निकाय से प्राप्त कर फायनेंशियल कोड भाग–दो के तहत संभागीय उपसंचालक प्रति हस्ताक्षर कर महालेखाकार, ग्वालियर को भेजेंगें।

2. उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय "मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के लिए राशि के उपयोग के नियम 2006" के नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा । इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी उत्तरदायी होंगे । राशि का उपयोग ऐसा हो, जिससे नागरिको को सुविधा और व्यवस्था में स्पष्टतः वृध्दिपरिलिक्षित हो सके ।

3. इस राशि के स्वीकृतकर्ता अधिकारी आयुक्त, आहरण संवितरण अधिकारी विशेष कर्त्तवस्थ अधिकारी तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उपसंचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास होगे।यह राशिसंचालनालय स्तर पर आहरित की जाकर नगरीय निकायो को भेजी जायेगी। **स्वीकृत राशि निम्न शीर्ष के अर्न्तगत विकलनीय होगी:**

मांग संख्या – 75 – शीर्ष – 3604 – स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन (106) वाहनों पर कर (8017) वाहनों पर कर से प्राप्त आगम से शहरी स्थानीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान – 42 – सहायक अनुदान. 008 अन्यआयोजनेत्तर ।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

पृष्ठां.क/वि. नि./2008–09/चार/ 6515 भोपाल दिनांक 2-5-08

प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
3. कलेक्टर जिला जबलपुर
4. कोषालय अधिकारी, कोषालय विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर
6. सम्बधित अध्यक्ष,मु.न.पा.अधि न.पा./न.पं. सिहोरा
7. देयक प्रति,

Executive Engineer
Urban Administration and Development
M. P. Bhopal

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.